राजस्व लोक अदालत केम्प कालूडी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

2018/01277

मुकदमा न0 109/2018

वादीगण :— 1 खीयाराम पुत्र रूपाराम कौम जाट निवासी वरिया भगजी

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. ग्राम पंचायत कालूडी
2.तहसीलदार पचपदरा जरिये

88 आर.टी.ए <u>दावा बाबत घोषणा</u>

निर्णय दिनांकः—11.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कालूडी प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम वरीया भगजी के खसरा न0 241 रकबा 39.14 बीघा मे वादी के उक्त आरजी को खरीद करने के पश्चात म्यूटेशन संख्या 203 भरते समय लिपिकीय भूल से वादी का नाम खीयाराम की बजाय खेराजराम दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम खेराजराम की जगह शुद्व नाम खीयाराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेनकार्ड ब्यानकर्ता नन्दराम, खीयाराम, सरपंच ग्राम पंचायत कालूडी के गवाह ब्यान व पटवारी कालूडी/आर.आई तिलवाडा व उपतहसीलदार जसोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वरीया भगजी के खसरा वरीया भगजी के खसरा 241 रकबा 39.14 बीघा में वादी का अशुद्व नाम खेराजराम की जगह शुद्व नाम खीयाराम करने की सिफारिश की है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादी खेराजराम की जगह शुद्व नाम खीयाराम नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......कालूडी

Scanned by CamScanner